VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 22 JUL 2017
SUBMITTED IN 3 HOURS
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1021)

Name of Candidate	KANTA JANGIR		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	42370
Center	MUKHERJEE NAGAR	Date	22 July

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in ENGLISH & HINDI
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. Identify the key objectives of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. Also highlight the challenges in its implementation.

   यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के प्रमुख उद्देश्यों की पहचान कीजिए। साथ ही, इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

POCSO अधिनियम 2012 बालक-बालिकाओं की रक्षा हेतु अच्छा प्रयास है। इस अधिनियम द्वारा -

- बच्चों के प्रति यौन अपराधों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक प्रावधान है
- अदालती कारवाई बन्द कमरे में होगी
- बच्चे को 24 घंटे के अंदर मेडिकल मुआयना तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना मजिस्ट्रेट (SDM) का कार्य
- कारवाई शुरुआत के दौरान एक महिला कांस्टेबल आवश्यक रूप से रहेगी।
- बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े, यह प्रयास किया जायेगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें।)

हालांकि यह अधिनियम बच्चों को यौन-शोषण से मुक्ति दिलाता है परंतु कुछ चुनौतियाँ हैं जैसे -

- अधिकतर मामलों में अपराधी घर के सदस्य, परिचित ही होते हैं जिससे बच्चे कुछ कह नहीं पाते।
- अदालती कारवाई, पुलिस का व्यवहार उसके मासूम दिमाग पर बुरा प्रभाव छोड़ता है।
- जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार की कमी इत्यादि।

बच्चे देश का भविष्य हैं, अतः इनकी रक्षा न केवल सरकार बल्कि समाज, परिवार का भी प्रमुख उद्देश्य है। इसलिये हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'Help me WCD' नामक हैशटैग शुरू करना, राष्ट्रीय बाल अधिकार

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संरक्षण आयोग, RTE जैसे प्रावधान किये गये हैं जो बच्चों पुनः समाज के साथ जोड़ने में सहायक होंगे।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Discuss how the design of MGNREGA program makes it more successful than other rural development programmes.

चर्चा कीजिए कि मनरेगा कार्यक्रम की अभिकल्पना (डिजाईन) इसे अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की तुलना में कैसे अधिक सफल बनाती है।

भारतीय ग्रामीण समाज को अ संविधान के अनु. 21 के अनुसार रोजगार का अधिकार एवं गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, नीति निदेशक तत्वों के अनु. 41 के अनुसार बेकारी से मुक्ति, A- 46 - गरीब एवं दुर्बल वर्गों की रक्षा इत्यादि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 2000 में लाया गया।

मनरेगा कार्यक्रम की कुछ विशेषताये:-

1. यह भारत सरकार द्वारा अ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 द्वारा लाया गया जो इसे वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

2. यह अन्य कार्यक्रमो की अपेक्षा पूर्ति आधारित न होकर मांग आधारित कार्यक्रम

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

है।

- यह ग्रामीणों को, प्रति परिवार 100 दिनों का गारंटी शुदा काम करने का अधिकार प्रदान करता है।
- 15 दिन के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान
- कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान
- आँनलाइन पेमेंट (AEPS) द्वारा

इस प्रकार यह कार्यक्रम अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक है परंतु फिर भी इसमें कुछ चुनौतियां हैं:-

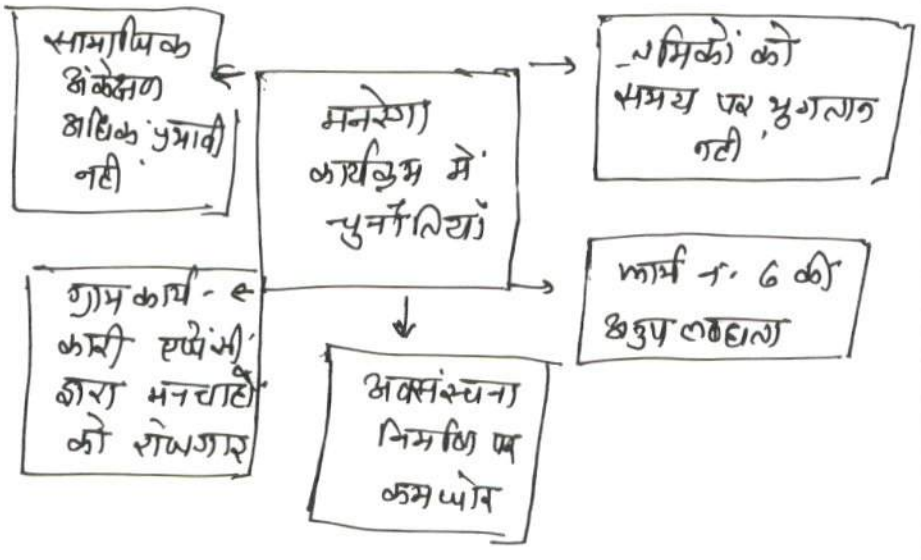

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस पक्ष की कमियों को दूर करने हेतु निम्न प्रयास किये जाने चाहिए -

1. महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी।
2. सामाजिक अंकेक्षण प्रभावी बनाई जाये।
3. ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाये।
4. नियमित मुल्यांकन किया जाये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें।)

3. Self-employment of the poor has been an important objective of the anti-poverty programmes and SHGs have played a significant role in this. Elucidate with examples. Also discuss the problems which plague the model of SHG micro-finance in India.

गरीबों के लिए स्व-रोजगार वस्तुतः गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है तथा SHGs ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। साथ ही, भारत में SHG माइक्रो-फाइनेंस (सूक्ष्म वित्त) के मॉडल को अवरुद्ध करने वाली समस्याओं पर चर्चा कीजिए।

लोकतांत्रिक, कल्याणकारी सरकार का सर्वप्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा है एवं SDG का भी सर्वप्रमुख लक्ष्य यही (To eradicate Poverty) रहा है। भारत में 6 वीं पंचवर्षीय योजना से ही गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया जाता रहा है जिसके लिए सरकार सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये है –

1. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम (NRLM)
3. महात्मा गांधी 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम'
4. जवाहर रोजगार योजना (JRY)
5. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
6. प्रधानमंत्री युवा कल्याण योजना
7. स्टार्ट अप, स्टैण्ड अप इत्यादि

भारत में स्वरोजगार कार्यक्रम को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने तथा संधारणीय विकास हेतु SHGs की प्रमुख भूमिका रही है। ये समूह सरकारी अधिकारियों, एवं प्रशासन एवं ग्रामीणों में कड़ी का कार्य करते हैं। यथा - Self Employed Women Association (SEWA), मजदूर सेवा संघ, इत्यादि। NRLM कार्यक्रम के माध्यम से एवं पोप योजना इत्यादि के माध्यम से भी SHGs गठन को वरीयता दी जा रही है।

भारत में SHG बैंकों एवं ग्रामीणों के मध्य सूक्ष्म वित्त पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। परंतु कुछ चुनौतियाँ भी हैं यथा -

(1) बैंकों द्वारा लोन देने में अत्यधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करवाना।
(2) लोन समय पर न चुका पाने का डर
(3) आपसी सामंजस्य का अभाव
(4) समूह के प्रभावशाली सदस्य द्वारा अपना व्यक्तिगत कार्य करना
(5) सरकारी अधिकारियों से सहयोग का अभाव

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आज भी भारत का 90% हिस्सा असंगठित हिस्सा है, अतः इन कमियों को सुधारकर -

(1) SHGs एवं अधिकारियों में सामंजस्य स्थापना

(2) बैंकों द्वारा औपचारिकताओं में कमी की जाये इत्यादि।

इस प्रकार SHG भारत के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Give an account of the issues that arise due to short tenure of civil servants in India. Critically discuss the move of setting up a Civil Services Board in order to address this problem.

भारत में सिविल सेवकों के छोटे कार्यकाल के कारण उठने वाले मुद्दों का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। इस मुददे को संबोधित करने के लिए सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना करने की पहल पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए।

भारत में सिविल सेवा को व्यावहारिक कार्यपालिका का रूप माना जाता है जो राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करना, मूल्यांकन करना एवं आवश्यक होने पर समीक्षा करती है भारतीय संविधान में भी सिविल सेवकों की पारदर्शिता बनाये रखने हेतु A-311 में सिविल सेवा सम्बन्ध में बनाया गया]

परंतु सिविल सेवकों के समक्ष निम्न चुनौतियाँ आती हैं -

1. कार्यकाल में स्थायित्व का अभाव
2. भ्रष्टाचार, लालफीताशाही
3. राजनीतिक कार्यपालिका का अत्यधिक दबाव
4. निष्पक्षता, निडरता से कार्य न कर पाना
5. राजनीतिक संरक्षणवाद एवं अवसरवाद

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें।)

अक्सर अच्छा कार्य करने या ईमानदारी पूर्वक कार्य करने वाले अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया जाता है जिससे -

1. अधिकारी राजनीतिक प्रशासनिक इच्छाशक्ति से कार्य नहीं कर पाते।

2. तनाव, सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में अस्थिरता आती है

3. निष्पक्षता, दृढ़ निश्चय में कमी आती है

यथा - हाल ही में कर्नाटक जेल में DGP दुर्गा देवी का स्थानान्तरण इस मुद्दे पर हो गया कि उन्होंने जेलों में विशेषित व्यवहार का मुद्दा उठाया। दुर्गा नागपाल (I.P.S.) को रेत खनन का मुद्दा उठाने पर निलम्बित किया गया। इत्यादि।

इस समस्या के समाधान हेतु अनेक सुझाव दिये जाते हैं। जिसमें एक प्रमुख सुझाव सिविल सेवा बोर्ड का गठन है जिसके माध्यम से सिविल सेवकों को निश्चित कार्यकाल तक

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

- किसी अधिकारी को गलत कार्य करने हेतु गैर कानूनी ढंग से पाबन्द नहीं किया जायेगा।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एवं विधि आयोग ने भी सिविल सेवकों की कार्यकाल की सुनिश्चितता हेतु सुझाव दिया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. India's health system is one of the most privatised in the world, poorly regulated and accessible only to those with income levels well above the average. Comment.

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली विश्व में सर्वाधिक निजीकृत प्रणालियों में से एक होने के साथ-साथ, अपर्याप्त रूप से विनियमित और केवल औसत आय के स्तर से ऊपर के लोगों को सुलभ है। टिप्पणी कीजिए।

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था के साथ-साथ निजी व्यवस्था भी है। भारत जहाँ 27.1% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे हैं, 50% से अधिक जनसंख्या गैर-लाभदायक क्षेत्र कृषि पर निर्भर है वहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत सरकार केवल 1.5% (GDP का) ही खर्च करती है। आज UNSDN की रिपोर्ट अनुसार भारत के 1/3 बच्चे कम वजन के हैं तथा 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।

भारतीय दवा क्षेत्र एवं मेडिकल क्षेत्र आज विश्व प्रसिद्ध है। WTO के TRIPS के व MDG-4 में भारत मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परंतु विडम्बना यह भी है कि आज सभी स्वास्थ्य सुविधायें केवल अमीरों या औसत आय के ऊपर लोगों के लिये ही है। आम भी गरीब लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि निजी अस्पतालों में इलाज उन्हें 'गरीबी के दुचक्र' में धकेल देता है।

हालांकि सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को संधारणीय एवं सर्व पहुंच संभव बनाने हेतु निम्न प्रयास किये गये हैं -

(1) निःशुल्क दवा योजना

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की घोषणा जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक खर्च किया जायेगा।

(3) मंत्रालय द्वारा जेनेरिक दवाओं को लिखना अनिवार्य किये जाने की दिशा में MCI ने इस हेतु प्रयास शुरू भी कर दिये हैं।

(4) MCI द्वारा 33 जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य निर्धारित करना ताकि गरीबों की पहुंच में रहे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखो)

अतः संविधान के अनु. 21 व अनु. 47 - स्वास्थ्य सेवाओं की सर्व पहुंच की तरफ सरकार प्रयत्नशील है परंतु इस रफ्तार को बढ़ाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Keeping in mind the importance of NGOs in India's development process it is imperative that adequate legal and regulatory mechanisms should be in place. Discuss in the context of recent developments.

भारत के विकास की प्रक्रिया में NGOs के महत्व को ध्यान में रखते हुए इनके लिए पर्याप्त कानूनी एवं विनियामक तंत्र का होना अत्यावश्यक हो जाता है। हाल के विकास संदर्भ में चर्चा कीजिए।

गैर - सरकारी संगठनों सरकार के कदम से कदम मिलाकर सहयोगी लोकतंत्र की प्राप्ति के प्रयास में सहायक साबित हो रहे हैं। "गैर सरकारी संगठन वे संगठन हैं जो राजनीतिक औपचारिक प्रक्रिया में भाग न लेकर लोगों की सेवा करते हैं तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद करते हैं।"

हाल ही में भारत में NGO पर सरकार द्वारा कुछ कठोर प्रावधान लागू किये गये यथा -

(1) 10 लाख से ज्यादा विदेशी दान दान में नहीं लिया जा सकता।

(2) कुछ NGO को सरकार की आज्ञा से ही विदेशों से दान लेने का प्रावधान किया गया।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- NGO को अपनी आय के स्रोत, कुल चल - अचल सम्पत्ति समय - समय पर घोषणा करनी पड़ेगी। इत्यादि।

इस बात से यह बहस शुरु हुई है कि NGO पर एक विनियामक तंत्र होना आवश्यक हो गया है क्योंकि -

1. कुछ NGO राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं।
2. बेवजह प्रदर्शनों के कारण भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। संसदीय रिपोर्ट के अनुसार हर साल विकास कार्यक्रमों के विरोध के कारण भारतीय GDP को 4% का नुकसान होता है।
3. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में परेशानी खड़ी करना यथा नर्मदा बचाओ अभियान के कारण भारत को लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ।
4. कुछ NGO राजनीतिक ब्लैकमेलिंग के माध्यम से भी धन कमाने लगे हैं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार NGO के लिये विनियामक तंत्र होना चाहिए परंतु जो NGO अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए ताकि दोनों में सामंजस्य हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. While on one hand, there has been proliferation of use of digital technology, on the other hand, resulting digital dividends have not been forthcoming. Analyse.

जहाँ एक ओर डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रसार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर परिणामी डिजिटल लाभांश प्राप्त नहीं हो रहे हैं। विश्लेषण कीजिए।

भारत तीव्र गति से सेवा क्षेत्र में अग्रणी प्रदर्शन कर रहा है आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र में प्रगति 9% से अधिक रही है और कृषि क्षेत्र एवं विनिर्माण क्षेत्र की धीमी प्रगति के विपरीत व तीव्र विकास की संभावनाये भी हैं।

डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है विमुद्रीकरण के पश्चात सरकार का भी मुख्य प्रयास डिजिटल प्रौद्योगिकी को अधिकाधिक प्रयास किये जा रहे हैं। यथा -

(1) भीम एप
(2) आधार पे मर्चेंट
(3) डिजिटल इंडिया मिशन
(4) डिजिलॉकर योजना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भीम 2.0 – USSD – बेसिक फोन वालों के लिये
- इसके अलावा निजी क्षेत्र भी डिजिटल भारत बनाने हेतु अग्रसर हैं जैसे – रिलायंस कम्युनिकेशंस की 'जियो योजना' गूगल का 'इंटरनेट सून'

परंतु यह भी सत्य है कि इस डिजिटल क्रांति का लाभ सभी तक नहीं पहुँच रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 'Digital Dividend 2016' के अनुसार भारत के 40% लोगों के पास आज भी डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है और महिला अनुपात को देखें तो यह ज्यादा गैप दिखाई देता है। इसके लिए निम्न कारण हैं –

1. भारत में डिजिटल अवसंरचना नहीं होना
2. डिजिटल साक्षरता की कमी
3. साइबर क्राइम (हाल ही में राष्ट्रीय कृत बैंकों के ATMs से रुपये चोरी होना)
4. इन्टरनेट कनेक्टिविटी गांवों में न होना
5. कुछ सीमित लोगों पर निर्भर होना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार इन सभी कमियों को दूर करने क से डिजिटल क्रांति को डिजिटल डिविडेंट में बदला जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. The public policy requirements of the 21st century demand a bureaucracy less generalist in nature. Analyse in the context of Indian civil services.

21वीं सदी की सार्वजनिक नीति वस्तुतः एक कम सामान्यज्ञ नौकरशाही की मांग करती है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

21 वीं सदी का भारत एक उभरता विकसित 'Incredible India' है जो वैश्विक आधार में धाक जमा रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार PPP (क्रय शक्ति समतुल्यता सूचकांक) के हिसाब से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परंतु भारत की नौकरशाही में आज भी पुराने, रूढ़िवादी तरीके से चयन, प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारतीय सिविल सेवा के समक्ष निम्न चुनौतियां हैं -

(1) विशेषज्ञता का अभाव

(2) समस्या को प्रभावी तरीके से न समझ पाना, क्रियान्वयन करने में परेशानी

(3) सिविल सेवकों के प्रशिक्षण का परम्परागत तरीका

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक कार्यशैली में बुनियादी अंतर

(5) राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक अवसर-वादिता इत्यादि।

परंतु इन सभी समस्याओं के कारण आज मांग उठ रही है कि प्रशासन या नीति निर्माण में ब्यूरोक्रेसी के स्थान पर विशेषज्ञों को शामिल किया जाये क्योंकि आजकल समस्यायें सामान्य नहीं विशेषज्ञों द्वारा ही सुलझायी जा सकती हैं। नंदन नीलेकणी, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रह्मण्यन, बिबेक देबरॉय इत्यादि विशेषज्ञों ने भारतीय अर्थव्यवस्था व नीति निर्माण में अच्छा योगदान दिया है अतः हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भी विशेषज्ञों को नीति निर्माण में शामिल करने पर विचार हेतु कहा गया।

सिविल सोसाइटी को अवसरों से वंचित करके समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। अतः आवश्यकता है कि सामान्यज्ञों को भी विशेषज्ञ बनाया जाये,

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रशिक्षण सेवा में सुधार किया जाये और जहां आवश्यक हो विशेषज्ञों की भी सलाह ली जाये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Explain how the National Digital Library (NDL) can bring a fundamental shift in the paradigm of education and research. Also highlight the challenges that need to be addressed to make NDL self-sustainable.

व्याख्या कीजिए कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (NDL) किस प्रकार शिक्षा व अनुसंधान के चिंतनफलक में एक आधारभूत परिवर्तन ला सकता है। साथ ही, NDL को आत्म-धारणीय (सेल्फ-सस्टेनेबल) बनाने हेतु उन चुनौतियों को रेखांकित कीजिए जिन्हें संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी- योजना केन्द्र सरकार द्वारा डिजिटल क्षेत्रों को प्रभावी बनाने एवं डिजिटल डिवाइड को लाँघ सब तक पहुंचाने हेतु डिजिटल लाइब्रेरी योजना प्रारंभ की गई है जिसके माध्यम से सभी विश्व विद्यालय, IITs, IIMs IISc इत्यादि सभी आपस में जुड़ सकेंगे ताकि सभी तरह के ज्ञान का फायदा उठाया जा सके।

इस योजना के माध्यम से -

(1) डिजिटल डिवाइड घटेगा

(2) युवा लोगों की ज्ञान तक आसान पहुंच होगी जिससे वे अपना समय एवं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अर्थ राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में लगायेंगे।

3. जो उपेक्षित समूह किसी कारणवश ऊँची फीसों एवं पुस्तकों के उच्च मूल्यों के कारण उन्हें खरीद नहीं सकते, वो भी उनका उपयोग कर सकते हैं।

4. डिजिटल क्षेत्र में संधारणीय विकास की स्थापना में योगदान जो SDG का भी प्रमुख लक्ष्य है जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता है।

परंतु डिजिटल लाइब्रेरी के सम्मुख निम्न प्रमुख चुनौतियां हैं:

- पर्याप्त जानकारी, प्रचार-प्रसार का अभाव
- ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल अवसंरचना न होना
- इंटरनेट की अपर्याप्तता
- डिजिटल साक्षरता न होना
- संस्थाओं में आपसी सहयोग की कमी

अतः इन परिस्थितियों में सरकार द्वारा निम्न कदम उठाने चाहिए-

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. NDL के लिये ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लोगों में
2. मीडिया, सोशल व प्रिंट के माध्यम से प्रचार
3. डिजिटल साक्षरता हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय सुविधा देना
4. भारत नेट योजना
5. उन्नत भारत योजना

इस प्रकार भिन्न कमियों को दूर कर सरकार NDL को समावेशी बना सकती है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Census 2011 observed that there has been a significant increase in urban homeless households in the period between 2001 and 2011. What are homeless households? Highlighting the challenges faced by them, discuss the causes for increase in such households. Suggest various measures to rehabilitate these households.

2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में शहरी बेघर परिवारों की संख्या में सार्थक वृद्धि हुई है। बेघर परिवार से क्या तात्पर्य है? उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, ऐसे परिवारों की संख्या में होने वाली वृद्धि के कारणों की चर्चा कीजिए। इन परिवारों के पुनर्वास हेतु विभिन्न उपाय सुझाएँ।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण शहरी स्लम्स, बेघर आबादी की समस्या बढ़ रही है। "बेघर परिवार से तात्पर्य वह परिवार जिसके पास छत निर्मित मकान न हो तथा, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा न हो।"

बेघर परिवारों के समक्ष रोजगार के अभाव के साथ-साथ निवास की भी समस्या रहती है जिससे वे उपेक्षित एवं हाशिये पर आ जाते हैं और गरीबी के दुचक्र में फंसे रहते हैं।

शहरों का संतुलित एवं समावेशी विकास न होने के कारण बेघर परिवारों की संख्या में वृद्धि होती है।

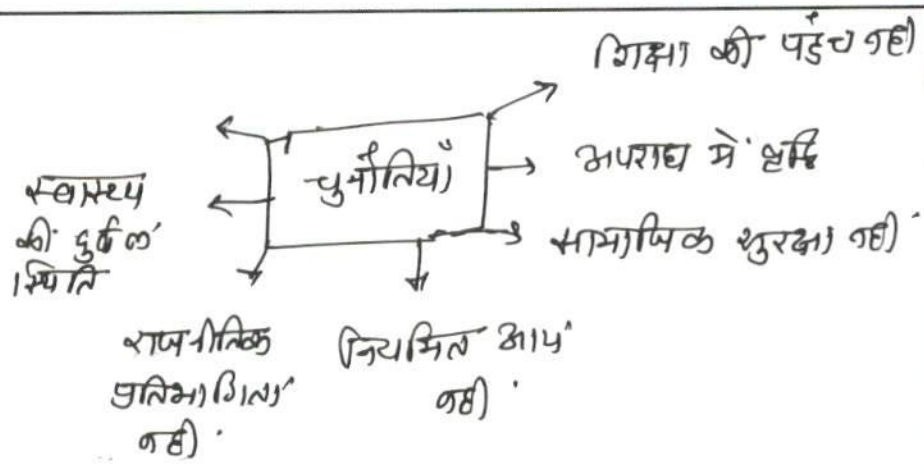

- शहरों का बेतरतीब विकास
- शहरी नियोजन का अभाव
- शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधायें महंगी होना
- जमीनों के दाम अत्यधिक होना
= शहरी अतिक्रमण
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव

शहरी बेघर परिवारों की संख्या कम करने तथा विकास धारा में लाने हेतु <u>प्रयास</u> -

1. स्मार्ट सिटी मिशन
2. अटल रिजुविनेशन मिशन
3. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना
4. शहरी गरीबों के लिये मकान हेतु ऋण की योजना

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार सकारात्मक प्रयासों के माध्यम से ही यह समस्या सुलझ सकती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस आशा में कुछ ना लिखो।)

11. What is the criteria for a village being recognized as electrified? Examine the challenges present in rural electrification in India. Elaborate upon some of the recent initiatives of the government with a special emphasis on Deen Dayal Upadhayaya Gram Jyoti Yojana.

एक गाँव को विद्युतीकृत गाँव के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड हैं? भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण में विद्यमान चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। इसके अतिरिक्त, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर विशेष बल देते हुए इस दिशा में सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कुछ कदमों पर सविस्तार चर्चा कीजिए।

भारत सरकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाने के हेतु "100% विद्युतीकरण" का लक्ष्य रखा गया है। एक विद्युतीकृत गांव से तात्पर्य, "किसी ग्राम विशेष के 10% परिवार, घर विद्युतीकृत हों तथा उस गांव के प्रमुख सरकारी संस्थान यथा स्कूल, पंचायत, आंगनवाड़ी, पटवार भवन इत्यादि विद्युतिकृत हो।"

भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण के समक्ष निम्न प्रमुख चुनौतियां हैं -

1. गाँवों में आवश्यक अवसंरचना का अभाव
2. खेतों में घर दूर-दूर होने के कारण कभी-कभार बिजली नहीं पहुँच पाती
3. केवल 10% परिवारों का विद्युतीकरण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

से वास्तविक रूप से विद्युतीकरण नहीं होगा, केवल का खाना-पूर्ति होगी।

- बिजली चोरी की समस्या।
- बिजली कम्पनियों का बढ़ता घाटा। इत्यादि

हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत

- 24×7 बिजली आपूर्ति हेतु ट्रांसमिशन लाइन
- खेतों व घरों के अलग-2 ट्रांसफॉर्मर लगाना।

इसके अलावा सरकार द्वारा उदय योजना, GARV APP, खेतों तक बिजली पहुँचाना इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. While the Right to Education (RTE) Act was based on noble intentions, implementation of many of its provisions remain ridden with problems. Discuss.

यद्यपि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम महान उद्देश्यों पर आधारित था, फिर भी इसके कई प्रावधानों का क्रियान्वयन समस्याओं से भरा हुआ है। चर्चा कीजिए।

शिक्षा का अधिकार 2009 संविधान के कई प्रावधानों के समायोजन के साथ लाया गया जिसके अन्तर्गत

A-21(क) - 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया

A-45 - 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का राज्य पर कर्तव्य

A-51(क) - 6-14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा माता-पिता एवं अभिभावकों की जिम्मेदारी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के

उद्देश्य →
- शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच
- बच्चों को विकास की धारा से जोड़ना
- Drop-out की समस्या का हल करना
- गरीबों, उपेक्षित बच्चों को शिक्षा से जोड़ना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- कुपोषण की समस्या से बचाव

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 के कुछ प्रावधान

1. प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता बनाना हर 5 km में स्कूल होना।
2. बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ भोजन देना (MDM)
3. बच्चों को 10 वीं तक किसी क्लास में नहीं रोकना
4. छात्र - शिक्षक अनुपात सही करना।

परंतु इस अधिनियम के कुछ प्रावधान विवाद होगये -

1. अभी भी छात्र - शिक्षक अनुपात ग्रामीण इलाकों में सही नहीं है
2. बच्चों को फेल न करने की नीति के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है तथा हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय ने भी इस प्रावधान में संशोधन करने को कहा है
3. MDM के कारण शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पर कम ध्यान की आपूर्ति पर ध्यान देते हैं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यद्यपि फेल न करने सहित कई विवादित प्रावधान हैं परंतु इसका उद्देश्य बच्चों का सार्वभौमिक विकास है जो आगे बढ़ाया जाना चाहिए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें।)

13. Critically examining the key provisions of The Surrogacy (Regulation) Bill 2016, discuss whether a complete ban on commercial surrogacy is justified.

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2016 के प्रमुख प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, साथ ही इस पर चर्चा कीजिए कि क्या वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध न्यायोचित है?

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2016

भारत में व्यावसायिक सरोगेसी को नियंत्रित करने हेतु लाया गया है। भारत आज आसानी से एवं कम कीमत पर सरोगेट मदर उपलब्ध होने के कारण व्यावसायिक सरोगेसी का अड्डा बनता जा रहा है।

यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से सरोगेसी को नियंत्रित करता है -

(1) किसी भी दंपति को भारतीय नागरिक होने पर भी ही सरोगेसी द्वारा बच्चे की अनुमति दी जायेगी और वह भी तब जब 5 वर्ष विवाह उपरांत बच्चा न हो।

(2) किसी दंपति का अगर पूर्व में बच्चा हो तो सरोगेसी की अनुमति नहीं दी जायेगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- सरोगेट मदर कोई पारिवारिक सदस्य, मित्र ही हो सकती है
- एक सरोगेट मदर केवल एक बार ही यह कर सकेगी।
- अगर सरोगेट मदर से बच्चा होने के बाद इंकार किया तो दण्डात्मक प्रावधान।
- सरोगेसी द्वारा बच्चा करवाने वाले अस्पताल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होना चाहिए।
-

इस प्रकार भारत में सर व्यावसायिक सरोगेसी पर लगाम कसी गई है हालांकि कुछ आलोचकों के मुताबिक -

* यह व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का हनन है (A-19)
* रोजगार के अधिकार का हनन (A-21)
* स्वयं निर्णय करने के अधिकार का हनन

परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार व्यावसायिक सरोगेसी को नियंत्रण करने हेतु कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है अतः व्यावसायिक सरोगेसी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें।)

को नियंत्रित करना व्यापसायिक है क्योंकि "माँ बनना एक भावना है, एक कर्तव्य है कोई व्यवसाय नहीं"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. It is often strongly suggested that scarce government resources should be redirected in favour of primary education rather than higher education. In this context, analyse whether curtailing public spending in higher education would help in achieving the principle of equity.

प्रायः मजबूती से यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि अत्यल्प सरकारी संसाधनों को उच्च शिक्षा के बजाय प्राथमिक शिक्षा की ओर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विश्लेषण कीजिए कि क्या उच्च शिक्षा पर होने वाले सार्वजनिक खर्च में कटौती करने से समता के सिद्धांत को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी?

शिक्षा क्षेत्र भारत में दो प्रमुख प्रकारों से किया जाता है - सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। आज शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अपनी उपस्थिति बढ़ रहा है। कि भारत में शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 3% से भी कम खर्च किया जाता है इसलिये कई बार यह मत व्यक्त किया जाता है कि भारत को सरकारी संसाधनों को प्राथमिक शिक्षा की ओर लगाया जाना चाहिए। इसके निम्न फायदे होंगे -

(1) प्राथमिक क्षेत्र में संसाधनों की अच्छी पहुंच होगी।

(2) प्राथमिक क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण होगा।

(3) छात्र - शिक्षक अनुपात सुधारने में मदद

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मिलेगी।

(4) लोग सरकारी स्कूलों की अकर्मण्यता व गुणवत्ता सुधार के कारण ज्यादा आकर्षित होंगे जिससे Drop out की समस्या कम होगी।

(5) बच्चे देश का भविष्य हैं, इनकी नींव से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए

परंतु इस कथन के निम्न दुष्परिणाम होंगे –

(1) उच्च शिक्षा में भारत का पिछड़ना- आज भी भारत टॉप 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी नहीं है।

(2) रिसर्च एवं विकास में पिछड़ जायेगा।

(3) सेवा क्षेत्र को अत्यधिक हानि होगी।

(4) उच्च शिक्षा का स्तर दयनीय हो जायेगा, गुणवत्ता प्रभावित होगी।

(5) आम आदमी, गरीब एवं उपेक्षित लोगों की पहुंच से शिक्षा बाहर हो जायेगी।

भारत में उच्च शिक्षा में सार्वजनिक कटौती को कम करने से समता

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिद्धांत प्राप्त नहीं होगी बल्कि यह एक तरीके से असमानता लाने वाला कदम होगा। सरकार को चाहिए कि दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश करे ताकि ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े।

15. Accessibility is the key to inclusion and equal access for people with disabilities. Analyse. Also discuss the objectives and components of the Sugamya Bharat Abhiyan with a special emphasis on inclusiveness and accessibility index.

निःशक्त जनों के समावेशन एवं समान पहुंच के लिए सुगम्यता (प्रवेशयोग्यता) एक महत्वपूर्ण कुंजी है। विश्लेषण कीजिए। साथ ही, समावेशन और सुगम्यता सूचकांक पर विशेष बल देते हुए हाल ही में आरंभ सुगम्य भारत अभियान के उद्देश्यों और घटकों पर चर्चा कीजिए।

निःशक्त जन उपेक्षित समूह का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हमेशा दया का पात्र बना कर विकास प्रक्रिया से अलग कर दिया जाता है। निःशक्तों को समावेशन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं:-

(1) सुगम्य भारत अभियान

(2) निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016

(3) विकलांग जनों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% करना।

(4) हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा निःशक्तों जनों के लिए 'ब्रेल लिपि युक्त' मानचित्र प्रकाशित करना

(5) CBSE द्वारा अपनी पुस्तके निःशक्त जनों के लिये उनके हिसाब से बनाना जिसमें डिजिटल व हार्ड कॉपी दोनों रूप होंगे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भारत दिव्यांगजनों की 'पुस्तकों तक पहुँच' का UN की ब्रेल कन्वेंशन का प्रथम हस्ताक्षर करने देश है।

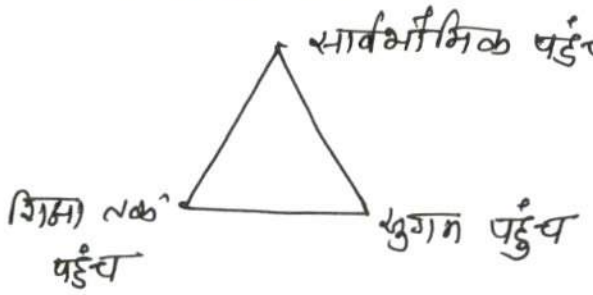

सुगम्य भारत अभियान केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया ऐसा ही कार्यक्रम है जो निःशक्तजनों को समावेशी समाज में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है इसके तीन घटक हैं -

सुगम्य भारत अभियान में -
- सरकारी इमारतों इत्यादि में सीढ़ियों के स्थान पर रैम्प बनाना।
- बसों इत्यादि में उनकी पहुँच आसान करना

हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां यथा- निःशक्त जनों के प्रति समाज का रवैया, कुछ सेवाओं में उनसे भेदभाव किया जाना इत्यादि हैं परंतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उन्हें अधिकाधिक अवसर प्रदान कर रहे हैं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. The Olympic Task Force constituted to prepare an action plan for the next three Olympic Games is a step in the right direction. Comment. Also highlight other initiatives required to augment India's performance in the sporting arena internationally.

आगामी तीन ओलंपिक खेलों के लिए कार्य योजना (एक्शन प्लान) तैयार करने हेतु गठित ओलंपिक टास्क फोर्स सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अन्य वांछित पहलों को रेखांकित कीजिए।

भारत विश्व की ~~सबसे~~ बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है जो हर दिन विश्व की जनसंख्या में 50,000 लोग जोड़ता है (UN जनसंख्या विभाग) परंतु यह भी विडम्बना ही है कि इतनी जनसंख्या, जिनमें से 70% युवा लोग हैं फिर भी भारत का ओलम्पिक खेलों में योगदान नगण्य ही नहीं शर्मनाक है क्योंकि भारत की जनसंख्या से बहुत छोटे देश अधिकांश मेडल ले जाते हैं रियो ओलम्पिक 2016 में भी भारत केवल दो पदक (पी.वी. सिंधु - रजत पदक, साक्षी मलिक - कांस्य पदक) जीत पाया।

~~सरकार द्वारा~~

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

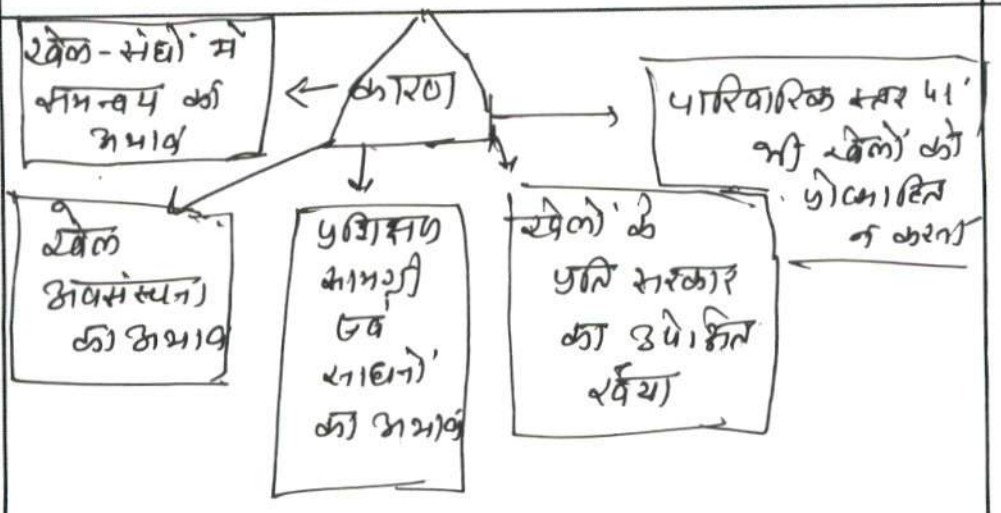

हाल ही में भारत सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में ज्यादा योगदान करने हेतु निम्न प्रयास किये गये हैं -

(1) ओलंपिक पोडियम स्कीम

(2) ओलंपिक प्रशिक्षण प्लान

(3) ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों से प्रतिभावान बच्चों को आगे लाने हेतु योजना

इस प्रकार सरकार द्वारा इस तरफ ध्यान दिया गया है परंतु इसे बढ़ाने की आवश्यकता है तथा समाज को भी खेल के साथ खेलों को महत्व देने की जरूरत है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Recent judgment of the Supreme Court, amending the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 has invoked varied reponses. Highlighting the amendment, critically examine its likely impact on the application of the law.

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। उक्त संशोधन पर प्रकाश डालते हुए, इस क़ानून के अनुप्रयोग पर इसके संभावित प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भारतीय महिलाओं को इनके A-14, A-15, A-16, A-19, A-21, A-41, A-43 एवं संविधान की प्रस्तावना के अनुसार लोकतंत्रात्मक, विकास, अवसर की समता, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति में मदद करता है

यह अधिकार -

(1) घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा करता है

(2) घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है जिसमें शारीरिक हिंसा के साथ-साथ मानसिक हिंसा भी शामिल है

(3) पुरुष सदस्य द्वारा किये गये अत्याचार पर सुरक्षा देता है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रशासन को पाबन्द करता है कि महिला को 24 घंटे के अंदर सुरक्षा मिले।

परंतु इस अधिनियम में निम्न कमियां है -

- यह अधिनियम केवल पुरुष द्वारा किये गये अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करता है, महिला सदस्य द्वारा किये गये अत्याचार से नहीं
- यह महिलाओं को ~~केवल~~ कानूनी मामलों में उलझा देता है
- कभी - कभी इसकी शिकायत भी की जाती है।

हाल ही में SC ने घरेलू हिंसा अधिनियम ने व्यवस्था की -

⇒ किसी महिला को यदि उसका पति तलाक देता है तो वह हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 की धारा 23 एवं घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 24 के तहत आर्थिक भत्ता भुगतान किया

जायेगा। इस प्रकार दोहरा भुगतान मिलेगा।
- यह महिला का अधिकार होगा इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती।

इस कानून के आलोचकों के मुताबिक
- यह झूठी शिकायतों की प्रवृत्ति को बढ़ायेगा।
- महिला को तलाक देने के बजाय दूसरे तरीके से परेशान किया जायेगा। इत्यादि।

परंतु यदि मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाये तो एक महिला को यह अधिकार होना चाहिए कि विवाह-विच्छेद में उसका व उसके बच्चों का समुचित भरण-पोषण हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Inspite of its usefulness as a tool of transparency and accountability, the RTI Act needs to be amended as it is being widely misused, especially to blackmail public functionaries. Critically examine.

पारदर्शिता और जवाबदेही के एक उपकरण के रूप RTI की उपयोगिता के बावजूद, इस कानून को संशोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका व्यापक दुरुपयोग किया जा रहा है, वह भी विशेष रूप से सार्वजनिक पदाधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

भारत के नागरिकों को प्राप्त ऐसा अमूल्य अधिकार है जिसके कारण -

- प्रशासन में जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व की भावना आती है
- भ्रष्टाचार पर रोक लगती है
- सहभागी एवं सकारात्मक लोकतंत्र की स्थापना होती है
- संवेदनशील प्रशासन की भावना

परंतु आज-कल यह देखा जाता है कि RTI का लोग गलत फायदा उठाते हैं जिससे सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल करके उनसे या तो पैसा वसूल किया जाता है या उनसे गलत कार्य

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

करवाया जाना है।

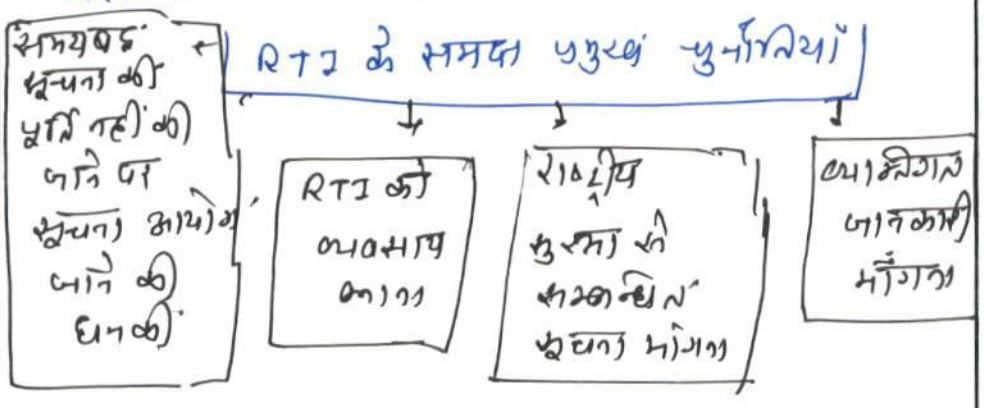

इस प्रकार कर RTI में सरकारी अधिकारियों को परेशान होना पड़ता है। इस हेतु RTI में किस प्रावधान किया जाना चाहिए -

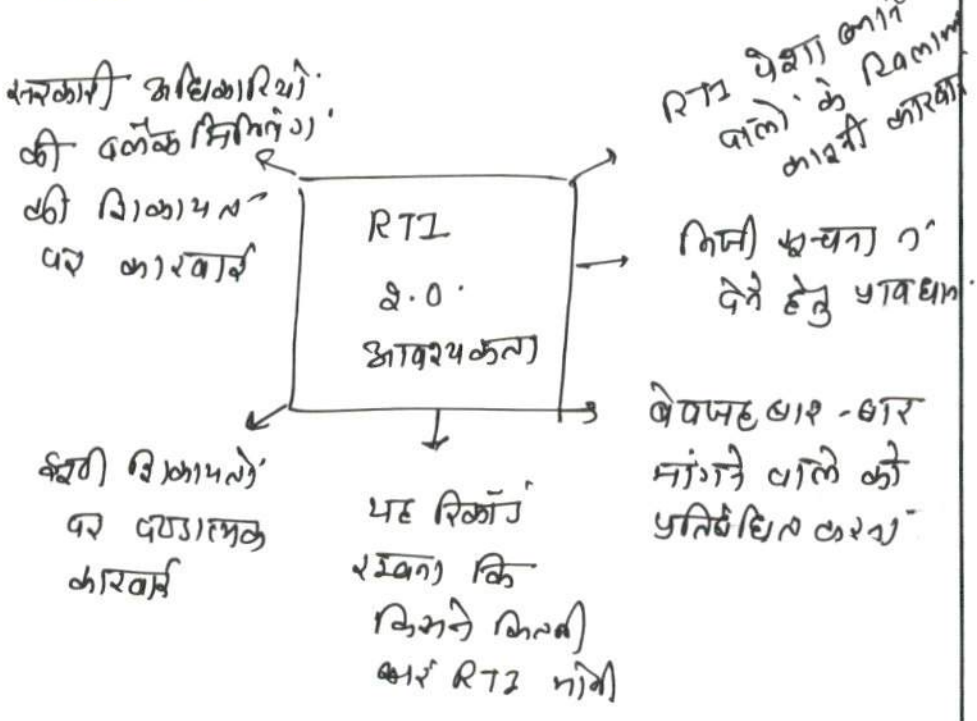

RTI भारत के लोगों को एक अमूल्य अधिकार है यह प्रशासन में पारदर्शिता लाता है अतः इसका दुरुपयोग न हो, साथ ही अधिकारियों को भी चाहिए कि सही व उचित सूचना प्रदर्शित करने में न हिचके।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस क्षेत्र में कुछ ना लिखें)

19. The transgender community has been among one of the most marginalized communities in India. Discuss. How does the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2016 seek to protect transgenders from discrimination and address the problems faced by them?

ट्रांसजेंडर समुदाय भारत में सर्वाधिक वंचित समुदायों में से एक रहा है। चर्चा कीजिए। दि ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राईट) बिल 2016 {ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक-2016} ट्रांसजेंडरों के साथ होने वाले भेदभाव से संरक्षण एवं उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को किस प्रकार संबोधित करने का प्रयास करता है?

ट्रांसजेंडर समुदाय भारत में उपेक्षित समुदायों में गिना जा रहा है इसके समक्ष निम्न चुनौतियां रहती हैं -

(1) समाज द्वारा उपेक्षित किया जाना

(2) शिक्षा, स्वास्थ्य तक पहुंच न होना

(3) गरीबी, कुपोषण

(4) स्थायी रोजगार न होना

(5) सामाजिक अधिकार

ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्या को समाधान करने हेतु सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट) बिल 2016 लाया गया है। जिसके मुताबिक -

- ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

में मान्यता दी गई है।

- सरकारी नौकरियों, स्थानों इत्यादि में इनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण पत्र लाना होगा और नौकरियों इत्यादि में लाभ मिलेगा।
- समाज द्वारा बहिष्कार या अपमान किये जाने पर दण्डात्मक प्रावधान

इस प्रकार ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा में लाने हेतु यह अच्छा प्रयास है परंतु -

1. ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र लाने हेतु बाध्य करना उनके अधिकारों के खिलाफ है।
2. नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया गया।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु आरक्षण लागू करने हेतु सरकार को कहा गया। केरल सरकार ने

ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान करके राज्यों में भी यह नीति शुरु कर दी है। यह उचित प्रयास है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Though the Forest Rights Act 2006 tries to undo the historic injustice done to the forest dweller and tribals, it has been argued that it is being misused. Critically analyse.

यद्यपि वन अधिकार अधिनियम 2006 वनवासियों और आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन यह तर्क दिया जा रहा है कि इसका दुरूपयोग किया जा रहा है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

वन अधिकार अधिनियम 2006 वनवासियों एवं परम्परागत निवासियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है →

- ग्राम सभा को लघु वन उपज के लिये अधिकार देना (संग्रह, विपणन इत्यादि)
- गौण खनिजों की नीलामी से पूर्व ~~अधिकार~~ की ग्राम सभा की अनिवार्य अनुशंसा
- अनिवार्य विस्थापन से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक
- वनवासियों एवं आदिवासियों को शिकार के कारण अन्य परम्परागत अधिकार
- वनसुनवाई

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* परंतु कई लोगों एवं यहां तक कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 वन्य जीवों की सुरक्षा, संरक्षण हेतु खतरा है।

— दुरुपयोग अर्थात अधिकारों की आड़ में शिकार इत्यादि कार्य करना।

— आदिवासियों तक अवसंरचना, आधुनिक सुविधायें यथा - स्कूल, अस्पताल पहुंचाने हेतु वन्य जीवन को बाधित करना

→ तस्करी करना, परिवहन के साधनों द्वारा वायु प्रदूषण

→ झूम कृषि, खेतो के लिए जंगल जलाना जैसी कारवाईयां

परंतु आदिवासी समुदाय पारम्परिक रूप से इन क्षेत्रों में रह रहा है और संधारणीय विकास कर रहा है जैसे - महाराष्ट्र के अमरावती जिले, गढ़चिरौली जिले में आदिवासियों ने वन्य रक्षा का कार्य किया है अतः दोनों में संतुलन की आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)